न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—जाकिर हुसैन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः—03/2020 (14 सिक्योरिटाइजेशन)

कॉर्पोरेशन बैंक शाखा—धान मंडी, स्टेशन रोड़ हनुमानगढ़, जरिये प्राधिकृत अधिकारी

—–प्रार्थी/सिक्योर कैडिटर

बनाम

1. मै. वैद ट्रैडर्स जरिये प्रोपराइटर श्रीमती शारदा देवी
   पता—दुकान नं. 40 न्यु धान मंडी, हनुमानगढ़—335513
   पता—दुकान नं. 797 व 798 जनरल मार्केट, हनुमानगढ़।

—–(ऋणी/बंधककर्ता)

2. श्री कंवर पाल सिंह यादव पता—दुकान नं. 797 व 798, वार्ड नं. 30 जनरल मार्केट, हनुमानगढ़।

—–(जमानतदार/बंधककर्ता)

प्रार्थना पत्र सिक्युरिटाइजेशन एक्ट 2002 (वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 The Securitisation and Rconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002) की धारा 14 के अन्तर्गत ऋणी/जमानती से बैंक सिक्यूरिटी एवं सिक्योरिटी से सम्बन्धित दस्तावेज का कब्जा लेकर बैंक को सुपुर्द कराने के बाबत।

सत्यमेव जयते

Web Copy Not Official

आदेश

दिनांकः—26.11.2020

प्रार्थी कॉर्पोरेशन बैंक शाखा—धान मंडी, स्टेशन रोड़ हनुमानगढ जरिये प्राधिकृत अधिकारी कॉर्पोरेशन बैंक आंचलिक कार्यालय, जयपुर की ओर से श्री प्रदीप मोहन भाटी वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। बैंक के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक ने ऋणी मै. वैद ट्रैडर्स जरिये प्रोपराइटर श्रीमती शारदा देवी को 67,25,000/— रूपये की ऋण सुविधा स्वीकृत की गई थी तथा उक्त ऋण सुविधा के ऐवज में बंधक विलेख निष्पादित कर सम्पत्ति सख्या—1 अचल व्यावसायिक सम्पत्ति दुकान नं. 797, धान मंडी सेक्टर, हनुमानगढ़ टाउन(राज.) में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 450 वर्गफिट है, प्रतिभुती स्वामी श्री कंवर पाल सिंह यादव, सम्पत्ति सख्या—2 अचल व्यावसायिक सम्पत्ति दुकान नं. 798, धान मंडी सेक्टर, हनुमानगढ़ टाउन(राज.) में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 450 वर्गफिट है, प्रतिभुती स्वामी श्रीमति शारदा देवी ने जिसको प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था।

अप्रार्थीगण द्वारा उक्त ऋण को समय पर चुकाने में असफल होने पर उनके ऋण खाता को बैंक के द्वारा नियमानुसार दिनांक 29.01.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया।

अप्रार्थीगण का खाता एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी कॉर्पोरेशन बैंक आंचलिक कार्यालय, जयपुर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण को दिनांक 01.07.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस भेज कर 60 दिन में ऋण राशि 73,00,307.77/– रूपये एवं दिनांक 30.06.2019 तक के ब्याज की मांग की गई। बैंक के वकील ने यह भी कथन किया कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाई गयी व न ही बंधक शुदा सम्पति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया।

अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की सम्पूर्ण राशि बैंक को जमा नही करवाई है। उक्त एक्ट के प्रावधानो के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा 14 के प्रावधानो के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को उक्त बंधक शुदा सम्पति का भौतिक कब्जा पुलिस सहायता से दिलाया जावे ताकि अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पति बेचकर बकाया ऋण राशि वसूल की जा सकें।

कॉर्पोरेशन बैंक आंचलिक कार्यालय, जयपुर के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया जाना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तो के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा कॉर्पोरेशन बैंक आंचलिक कार्यालय, जयपुर के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी कॉर्पोरेशन बैंक आंचलिक कार्यालय, जयपुर का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त ऋण की सुविधा की एवज में प्रार्थी कॉर्पोरेशन बैंक आंचलिक कार्यालय, जयपुर के पास बंधक सम्पत्ति संख्या–1 अचल व्यावसायिक सम्पत्ति दुकान नं. 797, धान मंडी सेक्टर, हनुमानगढ़ टाउन(राज.) में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 450 वर्गफिट है, प्रतिभुती स्वामी श्री कंवर पाल सिंह यादव, सम्पत्ति संख्या–2 अचल व्यावसायिक सम्पत्ति दुकान नं. 798, धान मंडी सेक्टर, हनुमानगढ़ टाउन(राज.) में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 450 वर्गफिट है, प्रतिभुती स्वामी श्रीमति शारदा देवी, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से कॉर्पोरेशन बैंक आंचलिक कार्यालय, जयपुर को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी कॉर्पोरेशन बैंक आंचलिक कार्यालय, जयपुर को उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु कॉर्पोरेशन बैंक आंचलिक कार्यालय, जयपुर द्वारा चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ व कॉर्पोरेशन बैंक आंचलिक कार्यालय, जयपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 26.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़